

Fax.: (05452) 252244, 252344

Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू०वि०वि०/सम्ब०/2025/1093
दिनांक: 21.06.2025

सेवा में,

प्राचार्य,
पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय,
केराकत, जौनपुर।

विषय: उच्च शिक्षा विभाग में मा० मुख्य मंत्री घोषणा/राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नवनिर्मित 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1205/सत्तर-5-2025-1851634, दिनांक-11 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन के पत्र संख्या-49/2024 /1859/सत्तर-5-2024/1833368, दिनांक-05.12.2024 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग मा० मुख्य मंत्री घोषणा/राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नवनिर्मित 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित किये जाने के निर्णय लिया गया है। शासन के पत्र संख्या-921/सत्तर-5-2025-1842787, दिनांक-22.05.2025 के माध्यम से प्रश्नगत महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) में विहित प्राविधानों के आलोक में शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, केराकत, जौनपुर में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, संगीत (वादन-तबला), शिक्षाशास्त्र व गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत-बी०काम० विषयों/पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा विश्वविद्यालय को सम्बद्धता से सम्बन्धित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

शासन के उक्त निर्देश के क्रम में संदर्भित प्रकरण को सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक-19.06.2025 में विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) में विहित प्राविधानों के आलोक में शासन के निर्णयानुसार स्नातक स्तर पर निर्धारित विषयों/पाठ्यक्रम में "दिनांक-01.07.2025 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान की गयी"।

अतः शासन के निर्देश एवं सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आलोक में पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, केराकत, जौनपुर में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, संगीत (वादन-तबला), शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान व विज्ञान संकाय के अन्तर्गत-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत-बी०काम० विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक-01.07.2025 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। कृपया उपरोक्त शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय का संचालन सत्र 2025-26 से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र० प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
6. अधीक्षक, शैक्षणिक, कार्यपरिषद् के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
7. वेब मास्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू0वि0वि0/सम्ब0/2025/1094
दिनांक: 21.06.2025

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, गहमर,
जमानियों, गाजीपुर।

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग में मा0 मुख्य मंत्री घोषणा/राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नवनिर्मित 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1205/सत्तर-5-2025-1851634, दिनांक-11 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासन के पत्र संख्या-49/2024/1859/सत्तर-5-2024/1833368, दिनांक-05.12.2024 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग मा0 मुख्य मंत्री घोषणा/राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नवनिर्मित 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित किये जाने के निर्णय लिया गया है। शासन के पत्र संख्या-921/सत्तर-5-2025-1842787, दिनांक-22.05.2025 के माध्यम से प्रश्नगत महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) में विहित प्राविधानों के आलोक में शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा राजकीय महाविद्यालय, गहमर, जमानियों, गाजीपुर में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, शारीरिक शिक्षा व भूगोल एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत-बी0काम0 विषयों/पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा विश्वविद्यालय को सम्बद्धता से सम्बन्धित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संदर्भित प्रकरण को सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक-19.06.2025 में विचारार्थ/निर्णायार्थ रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) में विहित प्राविधानों के आलोक में शासन के निर्णयानुसार स्नातक स्तर पर निर्धारित विषयों/पाठ्यक्रम में "दिनांक-01.07.2025 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान की गयी"।

अतः शासन के निर्देश एवं सम्बद्धता समिति के संस्तुति के आलोक में राजकीय महाविद्यालय, गहमर, जमानियों, गाजीपुर में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत-हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, शारीरिक शिक्षा व भूगोल एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत-बी0काम0 विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक-01.07.2025 से तीन वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। कृपया उपरोक्त शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय का संचालन सत्र 2025-26 से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
6. अधीक्षक, शैक्षणिक, कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
7. वेब मास्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव